यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) -07, राज्य कर, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) -07, राज्य कर, हरिद्वार के माह 03/2017 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण वरि. लेखापरीक्षक, श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.12.2018 से 31.12.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी0के0 श्रीवास्तव, श्री कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.03.2018 से 31.03.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	705.13
2016-17	900.12
2017-18	533.65

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)		व्यय राशि (₹)		अवशेष/समर्पण (₹)	
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2015-16						
2016-17			N.A			
2017-18						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....B.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **ट्रेडिंग** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) -07, राज्य कर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - ..... को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2(ब)</u>

प्रस्तर 01- कर का न्यूनारोपण ₹20.39 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(i)(ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल के भिन्न माल के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क. नि.) – 7 राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में निम्नांकित कमियां पाई गई:-

1.व्यापारी सर्वश्री अम्बे ट्रेडर्स हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के वाद में व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 14,30,395/- के "Trolly" की बिक्री की गई जिसपर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5 % की दर से कर आरोपित किया गया था जबकि उपरोक्त वस्तु अवर्गीकृत होने के कारण उस पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय था| इस प्रकार संदर्भित प्रकरण में 8.5% में अन्तरीय दर से ₹ 1,21,584/- के कर का न्यूनारोपण हुआ|

2. व्यापारी सर्वश्री कनिष्का इंटरप्राइजेज हरिद्वार द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में **₹ 20,87,707/-** की थीनर एवं सर्जिकल गुडस की बिक्री 5% की दर से की गई जबकि सर्जिकल आईटम को आयुक्त कर मुख्यालय के पत्रांक 1825/आयु.क.उत्तरा./धारा-57 अनुभाग वा.कर/2012-13/ देहरादून दिनांक 23.07.2012 द्वारा अवर्गीकृत श्रेणी में रखा गया है। अतः उक्त की बिक्री पर 13.5%की दर से करारोपण होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5%(13.5-5) से **₹**1,77,455/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा।

3.व्यापारी सर्वश्री भागीरथी प्रिन्ट वेज, ज्वालापुर हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के वाद में व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 23,97,152/- के "**Paper Sticker**" की बिक्री की गई जिसपर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5 % की दर से कर आरोपित किया गया था जबकि उपरोक्त वस्तु अवर्गीकृत होने के कारण उसपर 13.5% की दर से कर आरोपनिय था| इस प्रकार संदर्भित प्रकरण में 8.5% में अन्तरीय दर से ₹2,03,758/- के कर का न्यूनारोपण हुआ|

4.व्यापारी सर्वश्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी ज्वालापुर, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2014-15 स्वत: के वाद में व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 30,22,806/- के "**Cleaner Chemical**" की बिक्री की गई जिसपर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5 % की दर से कर आरोपित किया गया था जबकि उपरोक्त वस्तु अवर्गीकृत होने के कारण उसपर 13.5% की दर से कर आरोपणीय था| इस प्रकार संदर्भित प्रकरण में 8.5% में अन्तरीय दर से ₹ 2,56,939/- के कर का न्यूनारोपण हुआ|

5.व्यापारी सर्वश्री आरo केo प्रोडक्ट, ज्वालापुर, हरिद्वार कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के वाद में व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 1,50,50,480/- के "Plastic Bottle and Cap" की बिक्री की गई जिसपर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5 % की दर से कर आरोपित किया गया था जबकि उपरोक्त वस्तु अवर्गीकृत होने के कारण उसपर 13.5% की दर से कर आरोपणीय था| इस प्रकार संदर्भित प्रकरण में 8.5% में अन्तरीय दर से ₹ 12,79,290/- के कर का न्यूनारोपण हुआ|

उपरोक्त पांचों बिन्दुओ के संबंध मे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार जाँच कर लेखापरीक्षा को सूचित कराने का आश्वासन दिया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01 अर्थदण्ड का अनारोपन ₹ 0.16 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्यापारी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क. नि.) – I राज्य कर, काशीपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 02 व्यापारी द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ₹1,55,360/- को विलंब से जमा किया गया था|(विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियामानुसार ₹ 15,536/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अर्थदंड की कार्यवाही कर सूचित करने का आश्वासन दिया गया|

अत**:** प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्र स.	**व्योव्हारी का नाम / टिन स.**	**कर निर्धारण वर्ष**	**माह**	**कर जमा करने की तिथि**	**कर की धनराशि (₹)**	**न्यूनीतमआरोपनीय अर्थदण्ड (₹) (10%)**
1.	सर्वश्री अम्बे ट्रेडर्स हरिद्वार टिन: 05009310376	2013-14	1st Qtr	22.08.2013	26735	2673.5
			2nd Qtr	07.12.2013	22797	2279.7
			3rd Qtr	08.03.2014	9720	972.0
			4th Qtr	30.04.2014	11518	1151.8
2**.**	सर्वश्री कनिष्का इंटरप्राइजेज हरिद्वार टिन: 05010227511	2013-14	04/2013	25.09.2013	5414	541.4
			05/2013	05.09.2013	5721	572.1
			06/2013	05.09.2013	4035	403.5
			07/2013	21.11.2013	3701	370.1
			08/2013	22.11.2013	6923	692.3
			09/2013	22.11.2013	3990	399.0
			10/2013 to 12/2013	20.02.2014	18974	1897.4
			01/2014	02.05.2014	15124	1512.4
			02/2014 to 03/2014	02.05.2014	20708	2070.8
Total					**155360**	**15536**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-166/2017-18	01	01,02,03,04	01,02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) -07, राज्य कर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्रीमती शिवानी त्रिपाठी	सहायक आयुक्त
2	श्रीमती अर्चना राजपूत	राज्य कर अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर (क.नि.) -07, राज्य कर, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र